झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

अधिसूचना

Akash Deep

संचिका सं0-04/आ01-22/2017/............./ राँची, दिनांक-...................../

02/8/21

श्री कमलेश कुमार तिवारी, (राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2) तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, लातेहार सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध जिला शिक्षा स्थापना समिति के निर्णय के प्रतिकूल अपने स्तर से शिक्षकों को स्थानान्तरित करने, फर्जी अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर वेतन भुगतान करने एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल आचरण करने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या-3439 दिनांक-06.11.2019 एवं उक्त क्रम में निर्गत संकल्प संख्या-36 दिनांक-07.01.2020 द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची के पत्रांक-79(अनु0) दिनांक-11.06.2020 द्वारा प्रतिवेदित जाँच निष्कर्ष में श्री तिवारी के विरूद्ध गठित आरोप पत्र मे निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये हैं :-

आरोप संख्या-01 लातेहार जिला में जिला शिक्षा अधीक्षक के पद पर पदस्थापन अवधि में जिला शिक्षा स्थापना समिति के निर्णय के प्रतिकूल शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया।

आरोप संख्या-02 श्री जूनूस लकड़ा, प्रधानाध्यापक, रा0प्रा0 विद्यालय, हेसवा को फर्जी अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर मई 2012 से फरवरी 2016 तक का एकमुश्त वेतनादि का भुगतान कर वित्तीय अनियमितता बरतना।

आरोप संख्या-03 श्री तिवारी द्वारा उपर्युक्त कार्य कर सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल आचरण किया गया।

उप सचिव
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
झारखण्ड, राँची।
पत्रांक सं0- 633
दिनांक- 03-8-21

उपर्युक्त प्रतिवेदित जाँच निष्कर्ष के सम्यक समीक्षोपरांत नैसर्गिक न्याय के तहत अवसर प्रदान करते हुए विभागीय पत्रांक-1363 दिनांक-10.07.2020 द्वारा श्री तिवारी से द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त की गई। श्री तिवारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के सम्यक समीक्षोपरांत द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया जाता है :-

"झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत श्री कमलेश कुमार तिवारी के पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) राशि की कटौती 05 (पाँच) वर्षों तक किया जाय।"

उक्त प्रस्ताव पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची की सहमति प्राप्त है।

P.T.O.

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

उपर्युक्त लिये गये निर्णय के साथ ही संचालित विभागीय कार्यवाही निष्पादित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(विश्वनाथ झा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1479/ रॉंची, दिनांक-30.07.21/

प्रतिलिपिः-विभागीय नोडल पदाधिकारी ई0 गजट को सरकारी गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/ विभागीय नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रषित।

विश्वनाथ 30/7/21
सरकार के अवर सचिव।